

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 - सोनू पुत्र प्रभूनाथ निवासी बनौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 2- टिना देवी पत्नी नरसिंह केवट निवासिनी भेडौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 01 / 2021 व 02 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता संतोष कुमार पुत्र विश्वनाथ निवासी बंतवार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 07 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 6 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 1 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 4 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 09530 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद की सूचना मिलते ही

पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 14 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर प्रतिवादी को थाना बेलहरकला को सुपुर्द किया गया, तथा कालर को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बेलहरकला जाने को बताया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ – मु0 आ0 योगेन्द्र प्रसाद, मु0आ0 इन्द्रजीत यादव, हो0चा0 अखिलेश राय।**

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 102 वाहनो से 90500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 03.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 102 वाहनो से 90500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।